भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5528

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

5528. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई) :
श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों के लिए पुनर्वास प्रयासों में सुधार होने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धों की देखभाल और नशामुक्ति कार्यक्रमों के लिए आयुष आधारित उपचारों को मुख्यधारा स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने का अनुमानित प्रभाव क्या है तथा इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग करने तथा इस पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों और इस संबंध में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष मंत्रालय (एमओए) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) के बीच दिनांक 12.02.2025 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:-

i. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल करने के लिए एमओए और डीओएसजेई के बीच सहयोग, समन्वय और तालमेल विकसित करना और साथ ही मादक औषधियों की मांग और मादक द्रव्यों के सेवन को कम करने, जागरूकता बढ़ाकर तथा आयुष पद्धतियों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का क्षमता वर्धन करके उनके उपचार और मानसिक पुनर्वास का प्रयास करना।
ii. वृद्धावस्था स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
iii. वृद्ध-जनों तथा मादक दवाओं के आदी लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से कोई अन्य गतिविधियाँ।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, आयुष मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारियों में वृद्धावस्था देखभाल सेवा-प्रदाताओं और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित परामर्शदाताओं के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों का प्रशिक्षण मॉड्यूल और उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना, योग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वीडियो मॉड्यूल विकसित करना, निवारक और उपचारात्मक देखभाल में ज्ञान और प्रथाओं को साझा करना, आयुष से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करना और आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल और व्यसन मुक्ति शामिल हैं।

एमओयू के तहत, डीओएसजेई आयुष स्वायत्त निकायों को वृद्धावस्था स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, वृद्धावस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान में मदद करने, वृद्धाश्रमों में किसी भी आयुष सेवा के एकीकरण को बढ़ावा देने, वरिष्ठ नागरिकों के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं में आयुष पद्धतियों को शामिल करने, वरिष्ठ नागरिकों को आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूक करने, वृद्धावस्था देखभाल पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री हेतु सहायता देने और उसका विकास करने, वृद्धावस्था देखभाल सेवा-प्रदाताओं के क्षमता वर्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने में सहायता देने के लिए जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन की पहुंच का विस्तार करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के साथ समझौता ज्ञापन की प्रति साझा की गई है।

*****